



2026:AHC-LKO:9960

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 78 / 2026

ओम प्रकाश गुप्ता

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ
एवं 13 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – दिनेश कुमार मिश्रा, पंकज मिश्रा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री देवेन्द्र मोहन शुक्ला और श्री मोहम्मद तालिब खान, अधिवक्ता जो गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता के वाद-धारक हैं, को सुना।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जनपद श्रावस्ती की तहसील भिनगा के परगना इकौना के ग्राम अमरहवा में स्थित गाटा संख्या 222, जो चकरोड के रूप में दर्ज है, पर निजी प्रतिवादियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. तहसीलदार, भिनगा द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत प्रश्नगत उक्त भूमि गाटा पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए छह कार्यवाहियां पहले ही संस्थित की जा चुकी हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. तदनुसार, आधिकारिक प्रतिवादियों को विधि के अनुसार वाद संख्या टी202508620106286, टी202508620106289, टी202508620111181, टी202508620106287, टी202508620106288 और टी202508620111187 का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश जारी करते हुए इस याचिका का निस्तारण किया जाता है।

9 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)